भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 27

उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

स्टेम पाठ्यक्रमों के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करना

†27. श्री शशांक मणि:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विभिन्न राज्यों में माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर स्टेम पाठ्यक्रमों में लिंग-वार नामांकन और पाठन-पूर्णता दर के संबंध में कोई ब्यौरा उपलब्ध है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्टेम पाठ्यक्रमों में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेषकर कोई छात्रवृत्ति और सहायता कार्यक्रम तैयार किए गए हैं; और

(ग)क्या स्टेम शिक्षा सुविधाओं के संबंध में कोई जिला-स्तरीय ब्यौरा उपलब्ध है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(**क**) शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज+) 2021-22 और उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2022-23 (अनंतिम) के अनुसार एसटीईएम पाठ्यक्रमों में उच्चतर माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर लिंग-वार नामांकन निम्नानुसार है:

शिक्षा का स्तर	छात्र	छात्राएं	कुल
उच्चतर माध्यमिक (2021-22) (11वीं और 12वीं कक्षा)	56,78,265	47,19,128	1,03,97,393
तृतीयक (2022-23)	56,45,364	43,30,477	99,75,841

(स्टेम पाठ्यक्रमों के लिए कुल यूजी, पीजी, एमफिल, पीएचडी)			

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा-2022 के परिणाम और उच्चतर शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2022-23 (अनंतिम) के प्रकाशन के अनुसार स्टेम पाठ्यक्रमों में लिंग-वार उत्तीर्ण छात्रों का डेटा निम्नानुसार है:

शिक्षा का स्तर	उत्तीर्ण छात्र		
	छात्र	छात्राएं	कुल
उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (12वीं कक्षा विज्ञान संकाय)	29,11,944	23,25,805	52,37,749
तृतीयक (यूजी, पीजी, एमफिल, पीएचडी की अंतिम वर्ष की परीक्षा)	12,30,932	10,40,352	22,71,284

(ख) शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की जिम्मेदारी है। मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप बनाया गया है। एनईपी 2020 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी बच्चे को जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण अधिगम और उत्कृष्टता प्राप्त करने के अवसर से वंचित न होना पड़े। इस नीति का उद्देश्य महिलाओं तक अधिक पहुंच प्रदान करने सहित पहुंच, सहभागिता और अधिगम परिणामों में सामाजिक श्रेणी अंतर को कम करना है। केंद्र सरकार ने महिलाओं सहित पूरे देश में छात्रों के बीच उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुल्क में कमी, अधिकाधिक संस्थानों की स्थापना, छात्रवृत्ति, कमजोर वित्तीय पृष्ठभूमि वाले छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने में सहायता के लिए राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति में प्राथमिकता जैसे विभिन्न उपाय किए हैं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु "स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (एनएसपीजी)" छात्रवृत्ति योजना कार्यान्वित कर रहा है। यूजीसी नेट-जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सावित्रीबाई ज्योति

राव फुले एकल बालिका अध्येतावृत्ति के तहत स्टेम शिक्षा सहित सभी विषयों में पीएचडी करने हेतु अध्येतावृति भी प्रदान कर रहा है।

इसी तरह, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) भी महिलाओं के लिए एआईसीटीई प्रगति छात्रवृत्ति योजना (डिग्री और डिप्लोमा), एआईसीटीई स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, एआईसीटीई डॉक्टरल अध्येतावृति (एडीएफ), एआईसीटीई सक्षम छात्रवृत्ति योजना (डिग्री और डिप्लोमा) और एआईसीटीई स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना (डिग्री और डिप्लोमा) जैसी विभिन्न छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है। एआईसीटीई ने एआईसीटीई से अनुमोदित संस्थानों की बालिकाओं और बालकों हेतु शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से जून 2024 में एआईसीटीई पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृति (पीडीएफ) योजना भी शुरू की है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) में अवर स्नातक कार्यक्रमों में महिला नामांकन में सुधार लाने के उद्देश्य से अतिरिक्त सीटें सृजित की गईं, जिससे महिला नामांकन 10% से कम से बढ़कर 20% अधिक हो गया। स्टेम शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 43% है, जो विश्व में सबसे अधिक है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) भी एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी अवर स्नातक छात्रों को शिक्षण शुल्क में 100% छूट प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़े छात्रों (जिनकी पारिवारिक आय 1.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है) को शुल्क में पूरी छूट मिलती है और आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य छात्र जिनकी पारिवारिक आय 1.00 लाख रुपये से 5.00 लाख रुपये के मध्य है, उन्हें शुल्क में दो तिहाई छूट मिलती है।

इसके अतिरिक्त, यूजीसी "भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिलाओं के अध्ययन के विकास" की योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययन केंद्र (डब्ल्यूएससी) स्थापित करने के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसमें शिक्षण, शोध, पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षण और प्रसार गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षण, शोध और व्यावहारिक कार्य के माध्यम से महिला अध्ययन को आगे बढ़ाने में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

स्कूल शिक्षा और उच्चतर शिक्षा में तालमेल बिठाते हुए, आईआईटी-मद्रास ने "विद्या शक्ति" नामक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में स्टेम

शाखाओं में नामांकन (महिलाओं सहित) को बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के अवधारणात्मक और मूलभूत शिक्षण कौशल को बढ़ाना है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) महिलाओं के बीच मूलभूत और अनुप्रयुक्त विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं- किरण (वाईज-किरण) और एसईआरबी- अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाओं हेतु अवसरों का संवर्धन (एसईआरबी-पावर) फेलोशिप योजना के तहत कार्यक्रमों के माध्यम से फेलोशिप प्रदान करता है, ताकि भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में कार्य करने वाली उत्कृष्ट महिला शोधकर्ताओं और नवोन्मेषकों की पहचान की जा सके और उन्हें पुरस्कृत किया जा सके।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु कई कार्यक्रमों में सहायता कर रहा है और उच्चतर शिक्षा के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है और महिला शोधकर्ताओं को विभाग की योजनाओं जैसे डीबीटी- जूनियर रिसर्च अध्येतावृति कार्यक्रम और डीबीटी- अनुसंधान सहायकवृति कार्यक्रम में सहभागिता के अवसर प्रदान करता है, जिसमें महिला उम्मीदवारों को आयु में 05 वर्ष की छूट दी जाती है। जैव प्रौद्योगिकी कैरियर उन्नति और पुनर्भिमुखीकरण कार्यक्रम (बायोकेयर) विज्ञान में महिलाओं को बढ़ावा देने और उनकी सहायता करने के उद्देश्य से डीबीटी का एक विशेष कार्यक्रम है।

(ग) हां, उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) में सभी जिलों के एसटीईएम पाठ्यक्रमों सहित सभी पाठ्यक्रमों के लिए सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) से उच्च शिक्षा के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं।

*****